

## भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

06 मई, 2022 को पूर्वाह्न 12:00 बजे (पूर्वाह्न) ऑनलाइन आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी - मार्च, 2022 की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 06 मई, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे अध्यक्ष, वि.रा.भा.का.समिति के निर्देशानुसार डॉ. सतिंदर भाटिया, अधिष्ठाता महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

क्र.सं.	समिति सदस्य
1.	डॉ. सतिंदर भाटिया, अधिष्ठाता (डीन)
2.	डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, कुलसचिव
3.	श्री गौरव गुलाटी, उप-कुलसचिव
4.	श्री बिमल कुमार पांडा, प्रणाली प्रबंधक
5.	डॉ. कविता वाधवा, सहायक प्रोफेसर
6.	श्री पीताम्बर बेहरा, वरि. वित्त अधिकारी
7.	सुश्री नलिनी मेशराम, सहायक कुलसचिव
8.	सुश्री कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी
9.	सुश्री ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
10.	श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
11.	सुश्री लीना नागवानी, सहायक अनुभाग अधिकारी
12.	श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी
13.	श्री करुण दुग्गल, अनुभाग अधिकारी
14.	श्री जितेन्द्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
15.	सुश्री निर्मला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
16.	सुश्री सुमिता मारवाह, अनुभाग अधिकारी
17.	सुश्री तनुश्री, वरिष्ठ सहायक
18.	श्री अनिल मीणा, अनुभाग अधिकारी
19.	श्री नीरज कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक
20.	श्री रौनक बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक
21.	सुश्री जैनब इमाम, वरिष्ठ सहायक
22.	सुश्री चंदा रानी, हिंदी अधिकारी - सदस्य सचिव

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव सह हिंदी अधिकारी ने बैठक में सभी का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक प्रारंभ करने की अनुमति ली।

जनवरी—मार्च, 2022 की तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थिति थे।

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. डॉ. रोहित मेहतानी, प्रमुख (सीआरपीडी)            | — अनुपस्थित            |
| 2. श्री भुवन चन्द्र, सह कुलसचिव                    | — अवकाश पर             |
| 3. सुश्री मोहिनी मदान, अनुभाग अधिकारी              | — अवकाश पर             |
| 4. श्री पुष्कर कुणाल कश्यप, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक | — अनुपस्थित            |
| 5. सुश्री गगन अरोड़ा, प्रशासनिक समन्वयक            | — अवकाश पर             |
| 6. सुश्री सविता अरोड़ा बेदी, वरिष्ठ निजी सहायक     | — अवकाश पर             |
| 7. श्री द्वैपायन ऐश, अनुभाग अधिकारी                | — सरकारी कार्य से बाहर |

अनुवर्ती कार्यवाई हेतु, बिंदु निम्न प्रकार हैं:—

सदस्य सचिव, हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट की प्रस्तुत की। जिसमें पिछले बार से अधिक सुधार पाए गए हैं। कार्यवृत्त पर किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं उठायी गयी। समिति ने सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की। बैठक की कार्यसूची के मदों पर चर्चा से कार्यवाही शुरू की गई।

मद संख्या—1. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2022—2023 पर चर्चा।

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2022—2023 पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी विभागों द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिनियम और राजभाषा नियमों का समुचित अनुपालन किया जाए। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु प्रेरित व निर्देशित किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रति हम सभी को अपने—अपने दायित्वों का बखूबी से पालन करना चाहिए। जिससे राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में बढ़ोतरी होगी। संरक्षण के हीरक जयंती व आजादी के अमृत महोत्सव पर अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं व राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठी के भी सुझाव दिए गए।

(कार्यवाई—समस्त अनुभाग /विभाग)

**मद संख्या - 2. संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों द्वारा हिंदी का मूल पत्राचार (ईमेल सहित) 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्र के अनुसार शत - प्रतिशत हिंदी में किया जाना।**

अध्यक्ष महोदया ने सभी कार्मिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उनको प्रेरणा, प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। वार्षिक कार्यक्रम अनुसार संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों द्वारा हिंदी का मूल पत्राचार (ईमेल सहित) 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्र के मदवार शत - प्रतिशत हिंदी में किए जाने हेतु निर्देश भी दिए गए। महोदया ने यह भी सुझाव दिया कि प्रबन्धन विकास कार्यक्रम विभाग और अनुसन्धान विभाग प्रायोजक संस्थाओं को भेजने वाले पत्राचार (पत्र/ईमेल) पूर्णतः द्विभाषी करें। पिछले तिमाही आंकड़ों में कमी पाई गई जो कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पर्याप्त नहीं है। सभी अनुभाग/ विभाग अपनी तरफ से हिंदी का पत्राचार बढ़ाने व टिप्पणी लिखने में वृद्धि करें यथासंभव कोशिश करें कि मूल पत्राचार व ईमेल द्विभाषी रूप में करें।

(कार्वाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)

**मद संख्या - 3. साजभाषा नियमों के अनुरूप विभागों/अनुभागों में उपलब्ध फ़ाइलों पर फ़ाइल संख्या व विषय (शीर्षक) समान फॉन्ट में द्विभाषी रूप में लिखा जाना चाहिए।**

राजभाषा अधिनियमों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। सभी विभागों/ अनुभागों के अधिकारी अपने विभाग/अनुभाग में जांच करें व इसे तत्काल पूरा करें। भविष्य में भी सभी फ़ाइल की संख्या व शीर्षक को समान फॉन्ट में रखें और फ़ाइलों पर शीर्षक हिंदी (ऊपर) व अंग्रेजी (नीचे) अर्थात् द्विभाषी बनाए। इस संबंध में हिंदी अधिकारी को निर्देश दिए गए कि संबंधी गाइडलाइन्स बनाकर विभागों को प्रेषित की जानी चाहिए और सभी अनुभाग/ विभाग इसका सख्ती से पालन करें।

(कार्वाई – हिंदी विभाग व समस्त अनुभाग)

**मद संख्या - 4. सभी विभागों/अनुभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक/ तिमाही रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े का सही से मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाएं।**

सभी विभाग/अनुभाग को निर्देश दिए कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े की जांच करने के बाद सही मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में हिंदी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किए जाएं। सभी विभाग/ अनुभाग अपने स्तर पर माह समाप्त/ तिमाही समाप्त होते ही अपने विभाग/ अनुभाग के सभी कार्मिकों से डेटा इकट्ठा कर लिंक प्राप्त होते ही तिमाही रिपोर्ट भरकर समय से भेज दें। राजभाषा हिंदी के प्रति अपने - अपने लक्ष्यों को पूरा करना हम सभी का दायित्व है। तिमाही भरी जाने वाली रिपोर्ट

में आंकड़े प्रमाणित होने चाहिए। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो हिंदी विभाग इसे अध्यक्ष के ध्यान में लाए व उचित कार्यवाई की जाए।

(कार्यवाई— समस्त अनुभाग/ विभाग)

मद संख्या—5. संस्थान में प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर किया गया व्यय निर्धारित मानदंडों अर्थात् अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के विज्ञापन पर किए गए खर्च का 50 प्रतिशत हिंदी विज्ञापनों पर किया जाना।

संस्थान के सभी विभाग/अनुभाग अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रिंट मीडिया से सम्बन्धित सभी विज्ञापन एवं प्रचार पर किए गए खर्च में से हिंदी का 50 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। विज्ञापन देते समय आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए कि वह हिंदी में भी प्रकाशित किया जा रहा हो। यथासंभव द्विभाषी रूप में प्रकाशित कि जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(कार्यवाई— समस्त अनुभाग/ विभाग)

मद संख्या—6. संस्थान के विभागों/अनुभागों का निरिक्षण हेतु एक समिति बनाए जाने का प्रस्ताव।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदया का सुझाव यह रहा कि हिंदी अधिकारी स्वयं किसी भी समय किसी भी विभाग/अनुभाग का निरीक्षण करने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग/अनुभाग द्वारा हिंदी में किये गये कार्यों के दस्तावेजों को कैंपस 360 पर अपलोड किए जाने चाहिए।

(कार्यवाई— हिंदी व आईटी विभाग)

मद संख्या—7. संस्थान के शिक्षण /प्रशिक्षण कार्यक्रमों संबंधी विवरणिका(ब्रोशर) द्विभाषी रूप से अर्थात् हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया जाना।

इस मद में अध्यक्ष महोदया द्वारा संस्थान के प्रमुख शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा एम बी ए (आई बी) व एम ए(अर्थ) संबंधी विवरणिका (ब्रोशर) द्विभाषी रूप से अर्थात् हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्यतः तैयार करए जाएं। तथा यह निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो।

(कार्यवाई— समस्त अनुभाग/ विभाग)

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।